



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श10)
(सं० पटना 1589) पटना, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर 2025

सं० 09/न०वि०बि०भ०उ०-09/2025/10714/न०वि० एवं आ०वि०—बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2025) के उपविधि-88 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2025) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ—

- यह उपविधि बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2025) कही जा सकेगी।
- यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होगा।

2. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2025) के उपविधि-21 के अंत में एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

परन्तु यह कि इन क्षेत्रों में सरकारी भवनों के निर्माण पर ऊँचाई सम्बंधित प्रभावी प्रतिबंध को नगर कला और विरासत आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

3. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2025) के शेष प्रावधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

The 4th October 2025

No. 09/न०वि०बि०भ०उ०-09/2025/10714/UD&HD—In exercise of the powers conferred by Section 88 of Bihar Building Byelaws 2014 (Amendment, 2025), the following amendments are made in Bihar Building Byelaws 2014 (Amendment, 2025):-

1. Short Title, Extent and Commencement—

- These byelaws may be called Bihar Building Byelaws 2014 (Amendment, 2025);
- It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. In Bihar Building Byelaws, 2014 (Amendment, 2025), Byelaw No.-21, following is substituted at the end:-

"Provided that the effective height restriction on construction of government buildings in these areas may be relaxed by the Urban Development and Housing department in light of the recommendation of the Urban Art and Heritage Commission."

3. Rest provisions of Bihar Building Byelaws, 2014 (Amendment, 2025) shall remain as it is.

By Order of the Governor of Bihar,
Rajiv Kumar Shrivastav,
Additional Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1589-571+200-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>